

62/2020 सुरजगाम - शकश

दिनांक	आज्ञा पत्र	
22.4.22	<p>पत्रावली पेश। वकील अपील नोट प्रेस में पेश करने का आदेश माननीय राजस्व मंत्री मजिस्ट्रेट सिनिंग 20.5.22 के पेश की</p>	
20.5.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपील नोट/रेसपो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 20.5.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1-8-22 को पेश करें</p>	
1-8-22	<p>पत्रावली पेश। वकील अपील नोट प्रेस में पेश करने का आदेश माननीय राजस्व मंत्री मजिस्ट्रेट सिनिंग 18.10.22 के पेश की</p>	
18.10.22	<p>पत्रावली पेश। वकील अपील नोट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपील नोट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपील नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तारीख तकमील दाखिल दफतर हो।</p>	

Not
 process
 @Bibinijya